झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश (मानसून) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,गुरुवार,दिनांक– 28 आसाढ़ 1940 {श0} / 19 जुलाई, 2018 {ई0} को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क.सं.	विभागों को संसूचित की गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
88.	मस–2	श्रीमती सीमा देवी	पेंशन देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा।	10.07.18
89.	खा–01	श्री कुणाल षंड़गी	राशन कार्ड देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	07.07.18
90.	जा–15	श्री चम्पाई सोरेन	ट्रांसफॉमर बदलना।	उर्जा।	11.07.18
91.	ज–05	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	पुलिया का निर्माण।	जल संसाधन।	07.07.18
92.	ज–10	श्री बिरंची नारायण	डैम का गहरीकरण।	जल संसाधन।	09.07.18
93.	जा–05	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	मुआवजा एवं नौकरी देना।	उर्जा।	07.07.18
94.	जा–04	श्री प्रकश राम	बिजली की आपूर्ति।	उर्जा।	07.07.18
95.	ज–01	श्री भानु प्रताप शाही	बराज का निर्माण।	जल संसाधन।	05.07.18
96.	क–04	श्रीमती जोबा माझी	देवस्थल का घेराबन्दी।	कल्याण।	10.07.18
97.	जा–02	श्री अमित कु0मंडल	मॉग पूरा करना।	उर्जा।	07.07.18
98.	जा–12	श्री पौलुस सुरीन	विद्युतीकरण कराना।	उर्जा।	10.07.18
99.	ज–08	श्री प्रदीप यादव	उच्चस्तरीय जॉच कराना।	जल संसाधन।	09.07.18
100.	जा–17	श्री दशरथ गागराई	कंपनी पर कार्रवाई।	उर्जा।	11.07.18

01	02	03	04	05	06
101.	क–03	श्री फूलचन्द मंडल	सांस्कृतिक भवन का निर्माण।	कल्याण।	09.07.18
102.	खा–02	श्रीमती विमला प्रधान	योजना का लाभ देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	09.07.18
103.	जा–03	श्री शशि भुषण सामाड़	दोषी अधिकारी पर कार्रवाई।	ऊर्जा।	05.07.18
104.	जा–01	श्री आलमगीर आलम	ट्रांसफॉरमर उपलब्ध कराना।	ऊर्जा।	05.07.18
105.	ज–09	श्री साधुचरण महतो	पुनर्वासित कराना।	जल संसाधन।	09.07.18
106.	जा–18	श्री नलिन सोरेन	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा।	12.07.18
107.	क–06	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	छात्रावास की मरम्मति।	कल्याण।	11.07.18
108.	क–01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	छात्रावास का निर्माण।	कल्याण।	07.07.18
109.	क–05	श्रीमती सीमा देवी	छात्रावास उपलब्ध कराना।	कल्याण।	10.07.18
110.	कृष–01	श्री दशरथ गागराई	राशि उपलब्ध कराना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता।	05.07.18
111.	ज–15	श्री नलिन सोरेन	बाँध का निर्माण।	जल संसाधन।	12.07.18
112.	जा–16	डॉ0 इरफान अंसारी	तार की मरम्मति।	ऊर्जा।	11.07.18
113.	ज–11	श्रीमती जोबा माझी	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन।	11.07.18
114.	ज–04	श्री जगरनाथ महतो	योजना की स्वीकृति।	जल संसाधन।	07.07.18
@ 115.	ज–13	श्री नवीन जयसवाल	जलापूर्ति कराना।	जल संसाधन।	12.07.18
# 116.	क–07	श्री राजकुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	कल्याण।	11.07.18
117.	ज–07	श्री अशोक कुमार	चेकडैम का निर्माण।	जल संसाधन।	09.07.18
118.	क–08	श्री सुखदेव भगत	अस्पताल का संचालन।	कल्याण।	11.07.18
119.	जा–11	श्री पौलुस सुरीन	ट्रांसफॉरमर उपलब्ध कराना।	ऊर्जा।	10.07.18
120.	ज–12	श्री साधुचरण महतो	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन।	11.07.18
121.	ज–06	श्री प्रकाश राम	बाँध एवं कैनाल की मरम्मति।	जल संसाधन।	07.07.18
122.	मस–01	श्री कुणाल षड़ंगी	भवन का निर्माण।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा।	07.07.18
123.	जा–08	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	बिजली की आपूर्ति।	ऊर्जा।	09.07.18
124.	जा–10	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	विद्युत की आपूर्ति।	ऊर्जा।	10.07.18
125.	ज–03	श्री रामकुमार पाहन	तालाब का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन।	05.07.18
126.	जा–09	श्री बिरंची नारायण	पावर सब–स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा।	09.07.18
127.	जा–07	श्री फूलचन्द मंडल	हाईटेंशन तार पार कराना।	ऊर्जा।	09.07.18
128.	कृष–02	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	युनिट स्थापित कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता।	07.07.18
129.	ज–14	श्री नवीन जयसवाल	प्रोन्नति देना।	जल संसाधन।	12.07.18

@जल संसाधन विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्थानांतरित एवं उत्तर प्राप्त।

कल्याण विभाग से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
130.	क-09	श्री राधाकृष्ण किशोर	साईकिल कय की संपुष्टि।	कल्याण।	12.07.18
131.	जा-4	श्री सुखदेव भगत	विद्युतीकरण में तेजी लाना।	ऊर्जा।	11.07.18
132.	जा-13	श्री हरिकृष्ण सिंह	मिस्त्रियों की नियुक्ति।	ऊर्जा।	12.07.18
133.	जा-06	श्री राम कुमार पाहन	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा।	09.07.18
134.	ज-02	श्री भानु प्रताप शाही	योजना को पूर्ण कराना।	जल संसाधन।	05.07.18

राँची,
दिनांक-19 जुलाई,2018(ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न- 01/2018.........3253.........../वि0स0,राँची,दिनांकः-..16/07/18.....

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण /मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न- 01/2018.........3253.........../वि0स0,राँची,दिनांकः-..16/07/2018...

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न- 01/2018.........3253.........../वि0स0,राँची,दिनांकः-..16/07/2018.....

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 16/7/18

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

16/07/18

(88)

श्रीमती सीमा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित

प्रश्न संख्या–मस–02 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में विधवा एवं वृद्ध पेंशन हेतु प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में ही आवेदन स्वीकृत किया जाता है, जिससे जरूरत मंद विधवा एवं वृद्धा इस लाभ से वंचित रह जाते हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधवा एवं वृद्धा पेंशन योजना के तहत् प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए पेंशन देने का विचार रखती है, हां तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा वृद्धाओं एवं विधवाओं के लिए केन्द्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा राज्य योजनान्तर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं राज्य विधवा पेंशन योजना संचालित की जाती है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का अंशदान है एवं लाभुकों के आच्छादन हेतु उनके द्वारा भौतिक लक्ष्य (संख्या में) का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से संचालित किये जा रहे योजनाओं यथा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत् अर्हताधारियों के आवेदन स्वीकृति निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ही किये जाने संबंधी कोई बंधेज नहीं है। इन राज्य योजनाओं के अधीन लक्ष्य का निर्धारण केवल भौतिक परिलब्धि से अवगत रहने एवं तद्नुरूप अनुश्रवण कर अन्यान्य आवश्यक कर्रवाई करने के विचार से किया जाता है ताकि इन योजनाओं के तहत् राज्य के सभी अर्हताधारियों को लाभान्वित किये जाने के उद्येश्य की सफलतापूर्वक एवं यथाशीघ्र प्राप्ति की जा सके। यदि इन राज्य योजनाओं के अधीन निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध आवेदन स्वीकृति की संख्या अधिक होती है तो विभाग द्वारा समीक्षोपरांत लक्ष्य में यथाशीघ्र संशोधन करते हुए संख्या में वृद्धि की जाती है। विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के अधीन राज्य के अर्हताधारियों का आच्छादन एक अनवरत प्रक्रिया है। विभाग राज्य के समस्त अर्हताधारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना/राज्य विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार आच्छादित करते हुए लाभान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है एवं निरंतर प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म० स0/वि0 स0/तारांकित प्रश्न – 209/2018– 1963 राँची, दिनांक : 17-07-2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3089/वि0स0 दिनांक–10.07.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/2018.

(लालू कच्छप)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री कुणाल षडंगी,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड–चाकुलिया के कालियाम ग्राम पंचायत के ग्राम–तालडांगरा के एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है;	अस्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त विषय पर जांचकर दोषी पदाधिकारियों पर कारवाई करने तथा ग्राम–तालडांगरा के ग्रामीणों को राशन कार्ड चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 18/2018– 2338 /राँची, दिनांक 18/07/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2981/वि०स०, दिनांक 07.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
सरकार के उप सचिव।

90

श्री चम्पई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री चम्पई सोरेन, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत वर्ष 2016–17 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्य मे० विजय इलेक्ट्रीकल्स को दिया गया है।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कार्य एजेंसी का कार्य की प्रगती अत्यन्त धीमी होने के कारण राजनगर प्रखण्ड के ग्राम- संगाड़िया, यदुडीह, हातनाबेड़ा टोला रेमेदडीह, खण्डाडेरा, महाराजगंज टोला रूगडीह, सिरयापोसी, आसवा टोला दामुगुटटु, जनवनी, बरही ऊपर टोला, बलरामपुर ऊपर टोला की तथा नीचे टोला में विद्युत आपूर्ति ठप है।		आंशिक स्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत शेष बचे हुए आंशिक अविद्युतीकृत ग्रामों के छुटे हुए टोलों का कार्य Saturation mode में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिसम्बर 2018 के पूर्व निर्धारित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित एजेन्सी पर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए खण्ड-।। में वर्णित ग्राम में 10 KVA, 16 KVA तथा 25 KVA का जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		वर्णित ग्रामों के जले हुए ट्रांसफार्मरों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत दिसम्बर 2018 के पूर्व बदल देने का लक्ष्य निर्धारित है। एजेंसी द्वारा समर्पित Action Plan के अनुसार प्रगति नहीं होने पर प्रावधान तथा निविदा के शर्तो के अनुसार कार्रवाई की सकती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1761 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(91)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० ज–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के कुण्डहित प्रखण्ड अन्तर्गत बागडेहरी से मुड़ाबेड़िया के समीप अजय बराज नहर स्थित मुख्य मार्ग का पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है तथा पश्चिम बंगाल और झारखण्ड दोनों राज्य एक दूसरे के व्यापार करने लिए इसी मार्ग से लोग गुजरते है ?	**स्वीकारात्मक** अजय मुख्य नहर से निःसृत मुड़ाबेड़िया वितरणी के चेन सं०–147 पर अवस्थित हयूम पाईप पुलिया जिससे पश्चिम बंगाल जाने वाली सड़क गुजरती हैं, वर्षा से मिट्टी क्षरण होने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रतिदिन सैकड़ो वाहन का परिचालन होते रहता है, जिससे कभी भी पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकता है और अप्रिय घटना हो सकती है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक** वर्त्तमान में उक्त पुलिया पर हल्के वाहनों का परिचालन हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पुलिया का मरम्मति/निर्माण कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिया की मरम्मति के लिये कार्रवाई की जा रही है। कार्य बरसात के बाद पूर्ण करा लिया जायेगा।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं०–6/ज०स०वि०–20–तारां–57/2018– 3066 **राँची/दिनांक** 17/7/18

प्रतिलिपि–अवर/उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं० प्र०–2990, वि०स० दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

92

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान–सभा क्षेत्र में गरगा नदी पर अवस्थित गरगा डैम बोकारोवासियों हेतु पेयजल और सिंचाई की सुविधा का एक बहुत बड़ा माध्यम है ;	बोकारो जिलान्तर्गत क्षेत्र में गरगा नदी पर अवस्थित गरगा डैम बोकारो स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में है तथा इसका संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। गरगा डैम पर जल संसाधन विभाग का आधिपत्य नहीं है तथा इसका रख–रखाव भी जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः उक्त डैम में जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में गरगा डैम में गाद जमा हो जाने के कारण डैम के जल संचय की क्षमता कम हुई है और इससे बोकारो के लोग प्रभावित हो रहे हैं ;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल संचय की क्षमता बढ़ाने हेतु गरगा डैम का गहरीकरण एवं इसके तटबंधों का ऊँचाईकरण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–62/2018 – 3070 /राँची, दिनांक 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3057 वि०स० दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत नगर पंचायत हुसैनाबाद एवं हरिहरगंज प्रखण्ड में उच्च प्रवाहित बिजली तार की स्थिति जर्जर हो चुकी है जिसके चपेट में आने से आये दिन कई लोगों की मृत्यु हो रही है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी निवासी सुरेन्द्र मेहता की मृत्यु दिनांक 03 जुलाई-18 को तथा हरिहरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत डेमा पंचायत ग्राम डेमा निवासी प्रहलाद राम की मौत 11000 उच्च प्रवाहित तार टूटकर गिरने से दिनांक-10 नवंबर-2017 को हो गई थी।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुरानी एवं जर्जर उच्च प्रवाही बिजली तार को बदलने तथा दोनों मृत व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		33 हजार एवं 11 हजार वोल्ट के पुरानी एवं जर्जर तार बदलने का कार्य वर्त्तमान में झारखण्ड सम्पूर्ण अच्छादन योजना (JSBAY) के अन्तर्गत कार्य आवंटन हेतु Award निर्गत होने की प्रक्रिया में है। उक्त कार्य को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। हुसैनाबाद नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी निवासी सुरेन्द्र मेहता की मृत्यु दिनांक 3 जुलाई 2018 अपने घर के निजी सर्विस तार से टोका फसाने के क्रम में हुई है। उस घटना स्थल के आस-पास 11000 हजार वोल्ट या एल०टी० का कोई तार नहीं टूटा था। इस घटनाक्रम में विद्युत विभाग की कोई लापरवाही या दोष नहीं है। अतः स्व० मेहता के आश्रित को बोर्ड/ निगम के नियमानुसार मुआवजा देय नहीं होता है। दिनांक 10.11.2017 को स्व० प्रहलाद राम, ग्राम-डेमा निवासी प्रखंड हरिहरगंज की मृत्यु विद्युत विभाग के 11000 हजार वोल्ट के तार पक्षीघात से टूटकर गिरने एवं उस तार के चपेट में आने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से हुई है। स्व० राम के आश्रित पत्नी- श्रीमती बुधीया कुंवर को बोर्ड/ निगम के नियमानुसार मुआवजा के रूप में रू० 2,00,000/- (दो लाख) का भुगतान चेक संख्या-639418 दिनांक 12.07.2018 द्वारा कर दिया गया है। विभाग के नियमानुसार आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1744 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा, बालूमाथ, बारीयातु एवं हेरहेज प्रखण्ड में विद्युत की आपूर्ति लोहरदगा पावर ग्रीड से की जा रही है।		132/33 के०भी० लोहरदगा ग्रिड के अन्तर्गत 33 के०भी० कुरू फीडर से कुरू पावर सब-स्टेशन को विद्युत आपूर्ति की जाती है। यहाँ से चन्दवा, बालूमाथ, बारीयातु एवं हेरहेज प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा से चन्दवा घना वन क्षेत्र एवं पहाड़ी (घाटी) क्षेत्र है जिससे बरसात एवं आंधी तुफान से पेड़ गिरने के कारण हमेशा बिजली आपूर्ति बाधित होते रहती है। साथ ही विभाग को अधिक CONSUPTION के कारण लोड SHEDDING (बिजली कटौती) करना पड़ता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हटिया से लातेहार पावर ग्रीड में जाने वाली ट्रांसमीशन लाईन से चन्दवा, बालूमाथ, बारीयातू एवं हेरहेज प्रखण्ड में बिजली आपूर्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		लोहरदगा एवं लातेहार ग्रिड को विद्युत आपूर्ति हटिया-।। ग्रिड से ही की जाती है। प्रखंड-चंदवा में एक ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०भी०) प्रस्तावित है। प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च-2020 है। जिसके निर्माण होने पर प्रखण्ड-चंदवा, बालूमाथ, बारीयातु एवं हेरहेज क्षेत्र में 33 के०भी० लाईन का Length काफी हद तक कम हो जायेगी एवं विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1738 /

दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(95)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड खरौंधी अंतर्गत डोमनी बराज का निर्माण वर्ष 2014 में प्रारम्भ किया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस कार्य हेतु टर्न की निविदा उपरांत दिनांक 20.10.2014 को एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार संवेदक को ही रूपांकण आलेख्य आदि का कार्य करना है। भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।
2.	क्या यह बात सही है कि डोमनी बराज का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं होने के चलते सैकड़ों किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित है, जिससे कृषि कार्य में काफी दिक्कत हो रही है ;	स्वीकारात्मक। भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है। SIA का कार्य पूर्ण हो चुका है। भू–अर्जन का कार्य पूर्ण होते ही बराज का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डोमनी बराज का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2021 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6 / ज०स०वि०–20–तारां०–53 / 2018 – 3044 /राँची, दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2955 वि०स० दिनांक 05.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(96)

श्रीमती जोबा माझी, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुँटपानी प्रखण्ड में लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा कोटसोना में निम्नलिखित देवस्थल (जायरा) का घेराबंदी अब तक नहीं किया गया है ; क्र० | टोला | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा 1. | तोन्डागसाई | 01 | 2277 | 2.62 एकड़ 2. | मुण्डासाई | 02 | 1335 | 0.50 डि०	सरना, मसना, हड़गड़ी एवं जाहेरस्थान की संख्या अधिक होने के कारण भूराजस्व अभिलेख (खतियान) में दर्ज सरना, मसना, हड़गड़ी एवं जाहेरस्थान की प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी किए जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक– 1137 (बी)/क०. दिनांक– 13.07.2018 के अनुसार • मौजा कोटसोना के टोला–तोन्डागसाई में देवस्थल (जायरा) हाल सर्वे खतियान में दर्ज नहीं है। 1. मौजा कोटसोना के टोला–मुण्डासाई में देवस्थल (जायरा) घेराबंदी हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में इन देवस्थल (जायरा) का घेराबंदी अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मौजा कोटसोना के टोला–मुण्डासाई में देवस्थल (जायरा) की घेराबंदी योजना की स्वीकृति निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी।

19/7/2018

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के अपर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०ता०–002/2018 2507 राँची, दिनांक:– 17.7.18

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या– 3088, दिनांक– 10.07.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/18

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के अपर सचिव।

97

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या बात यह सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची के कार्मिक विभाग द्वारा झारखण्ड विद्युत सप्लाई तकनीकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि एवं बोर्ड प्रबन्धन के बीच दिनांक–03.12.2013 की तत्कालीन सचिव श्री ए0के0 सिंह, के साथ पाँच सूत्री माँगो पर सहमति बनी थी दिनांक–27.12.2013 पत्रांक–2168 कार्मिक विभाग के सचिव श्री ए0के0 सिंह के साथ तीन सुत्री माँग पर निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् विभाग के उप महाप्रबंधक (कार्मिक), श्री गोविन्द यादव के बीच दिनांक–22.08.2017 के छः बिन्दुओं पर चर्चा के बाद संघ के साथ सहमति बनी थी।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के आलोक में छः वर्ष बीत जाने के बावजूद अबतक श्रमिक संघ के वार्ता के अनुरूप मांग का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।	उपरोक्त सहमति के आलोक में इस मामले में तदेन वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड / झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा यह स्पष्ट विधिक मंतव्य दिया गया है कि मानव दिवस कर्मियों को विद्युत बोर्ड/निगम की सेवा में सीधा समायोजन विधि के अनुसार सही नही है। उक्त विधिक मन्तव्य क उपरांत निगम के निदेशक मण्डल द्वारा इस आशय का नीतिगत निर्णय लिया गया कि बाह्य नियुक्तियों में विद्युत बोर्ड/निगम में अनुबंध के आधार पर कार्यरत अनुबंध कर्मियों एवं विद्युत बोर्ड/निगम में कार्यरत मानवदिवस कर्मियों को चरणबद्ध ढंग से उनके 05 वर्षो के कार्य के अनुभव के आधार पर अधिकतम 15 अंको का Weightage देते हुए नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाए। तदनुसार निगम द्वारा नीतिगत विज्ञापन संख्या–02/2015 की तहत हुई सीधी नियुक्ति परीक्षा में विद्युत बोर्ड / निगम के अनुबंध कर्मियों को कार्य अनुभव के आधार पर अधिकतम 15 अंको का Weightage दिया गया। उक्त विज्ञापन के तहत हुई सीधी नियुक्ति परीक्षा में लगभग 420 अनुबंधकर्मी योग्यता के आधार पर सफल हुए, जिन्हे नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके उपरांत निगम द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या 03/2016 के तहत हुई सीधी नियुक्ति परीक्षा में विद्युत बोर्ड /निगम के अनुबंध कर्मियों एवं मानवदिवस कर्मियों को कार्य अनुभव के आधार पर निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षो की छुट एवं 05 वर्षो के कार्य अनुभव के आधार पर अधिकतम 15 अंको का Weightage दिया गया। उक्त विज्ञापन के तहत हुई सीधी नियुक्ति परीक्षा लगभग 28 अनुबंध कर्मी एवं लगभग 165 मानव दिवसकर्मी योग्यता के आधार पर सफल हुए, जिन्हे नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के तकनीकि श्रमिक संघ के नव जवान कार्यरत कर्मियों को वर्ता के अनुरूप मांग पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	भविष्य में होनेवाली नियुक्तियों में भी मानवदिवस कर्मियों को कार्य अनुभव एवं प्रचलित नियम तथा निदेशक मण्डल के निर्णय के आलोक में प्राथमिकता के संबंध में उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1755 /

दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री पौलुस सुरीन, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा एवं रनिया प्रखण्ड के मनाहातु, अम्बा टोली, तपकारा, चुरगी, रंगरूडी एवं अन्य गाँवों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं होने के कारण उक्त गाँवों के जनता को काफी कठिनाई हो रही है।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण नहीं होने के कारण वहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा एवं रनिया प्रखण्डों के छुटे हुए गाँवों में विद्युतीकरण शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		खूँटी जिलान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं योजना तथा DDUGJY के तहत गाँवों के बचे टोलों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, तथा उक्त प्रखण्डों के मनाहातु, अम्बा टोली, तपकारा, चुरगी, रंगरूडी गाँवों का विद्युतीकरण माह अक्टूबर 2018 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1743 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(99)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के अंचल सरैयाहाट में हीराबांध की खुदाई काम जनवरी 2018 में बिना प्री–लेवल लिए ही प्रारम्भ किया गया था ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय अभियंता एवं ठेकेदार के मिलीभगत से भिन्न–2 जगहों पर निर्धारित पैमाने से कम खुदाई कर अधिक रकम की निकासी की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का जीर्णोद्धार कार्य में प्री–लेवल लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–60 / 2018 3068 / राँची, दिनांक– 17/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

100

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 200 से अधिक गाँवों में 10 एवं 16 KVA का ट्रांसफार्मर खराब है।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि IL&FS कम्पनी को जून 2018 तक इन ट्रांसफार्मरों को बदलने का लक्ष्य दिया गया था।		पश्चिमि सिंहभूम जिले के सभी गाँवों में 10/16 KVA के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य DDUGJY योजना के तहत संवेदकों को आवंटित है जिसे बदलने का कार्यादेश जून 2019 तक निर्गत है, परन्तु उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कम्पनी को लक्ष्य दिसम्बर 2018 दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि IL&FS कम्पनी का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।		आंशिक स्वीकारात्मक। कम्पनी द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन ट्रांसफार्मरों के शीघ्र बदलने हेतु IL&FS कम्पनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		DDUGJY योजना में कार्यरत् संवेदक कम्पनी को ट्रांसफार्मर बदलने हेतु एवं सभी आंशिक अविद्युतीकृत ग्रामों में छुटे हुए सभी टोलों को Saturation mode में दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1759 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री फूलचंद मण्डल, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क०–03 का उत्तर सामग्री।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत– पण्डुकी, ग्राम-- वीरगाँव, पंचायत– तिलाबनी, ग्राम– कारीटॉड, पंचायत– मटियाला, ग्राम-- सरकारडीह, पंचायत– पथुरिया, ग्राम– कुरवा, पंचायत– मरिचो, ग्राम– वनतोड़, पंचायत– ग्राम– बड़ा पिछरी, पंचायत– आसनबनी 1, ग्राम– चपोती, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;</td><td>जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद का पत्रांक– 877, दिनांक – 16.07.2018 के अनुसार गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रश्नांकित ग्रामों की जनसंख्या निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम</th><th>कुल जनसंख्या</th><th>अनुसूचित जनजाति की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मरिचो</td><td>बनतोड़</td><td>655</td><td>284</td><td>43.36</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बड़ापिछड़ी कारीटाड़</td><td>बड़ापिछड़ी कारीटाड़</td><td>3392</td><td>129</td><td>3.80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पण्डुकी</td><td>बीरगाँव</td><td>483</td><td>442</td><td>91.51</td></tr>
<tr><td>4</td><td>तिलाबनी</td><td>कारीटॉड़</td><td>24</td><td>0</td><td>–</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पथुरिया</td><td>कुरवा</td><td>622</td><td>328</td><td>52.73</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मटियाला</td><td>सरकारडीह</td><td>1479</td><td>656</td><td>44.35</td></tr>
<tr><td>7</td><td>आसनबनी–1</td><td>चपौती</td><td>--</td><td>–</td><td>इस पंचायत में ग्राम चपौती नहीं है।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि वर्णित गाँवों में आदिवासियों के संस्कृति एवं कला की अभिरक्षा हेतु संस्कृति एवं कला कार्यक्रम भवन (धुमकुड़िया भवन) निर्माण अत्यंत आवश्यक है ;</td><td>स्थलों का चयन उपायुक्त के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा योजना हेतु राशि सीधे जिला में आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में धनबाद जिला के लिए योजना मद में कुल चार (04) इकाई हेतु राशि का आवंटन प्रदान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित आदिवासी गाँवों संस्कृति एवं कला कार्यक्रम भवन (धुमकुड़िया भवन) निर्माण करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–703, दिनांक–06.06.2018 एवं पत्रांक– 767, दिनांक– 13.06.2018 के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 1015, दिनांक– 12.07.18 द्वारा पंचायत पण्डुकी, ग्राम–वीरगाँव में आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र एवं धुमकुड़िया हॉउस निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता का प्रस्ताव जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित किया गया है।</td></tr>
</table>

17/7/2018

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के अपर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०ता०–001 / 2018(क०) - 2511 राँची, दिनांकः– 17.7.18

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या– 3049, दिनांक– 09.07.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/2018

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के अपर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 19.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

102

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती विमला प्रधान,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि उज्जवला योजना के तहत् BPL परिवार के साथ ऐसे परिवार को भी जिनका SECC Data 2001 में नाम नहीं है। ST/SC/ OBC/ ANX-1 को उक्त योजना में लाभ देने का निर्देश दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश को संशोधित करते हुए नया दिशा निर्देश पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.2), दिनांक 12.03.2018 जारी किया गया है। नये दिशा निर्देश के अनुसार पूर्व से इस योजना के तहत् आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त निम्न सुयोग्य परिवारों को भी आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार से उद्धृत है :– "The selection of beneficiaries would be from the BPL families identified from the SECC list or BPL family covered under either one of the categories: i. SC/ST Households ii. Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) iii. Antyodaya Anna Yojana (AAY) iv. Forest Dwellers v. Most Backward Classes (MBC) vi. Tea and Ex-Tea Garden Tribes vii. People residing in Island & river Islands The above category of beneficiaries will be identified in consultation with the respective line Ministries and state Governments/ UTs and will be considered after excluding those covered by the 14 parameters of exclusion in SECC list" Where Definition of BPL is as follows "BPL is a person/household who suffers from at least one deprivation under the SECC 2011 database or who belongs to one of the categories mentioned as above (i) to (vii)".
(2) क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिला में अनेक गरीब परिवार जो ANX-2 में आती है, जैसे अहीर, गोप, खतिया, भूईहर, महाकुर, झोटा, पाईक जैसी अनेक जातियाँ जंगल–पहाड़ में निवास करते हैं, उन्हें उज्जवला योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	ANX-2 में शामिल जातियों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। Forest Dwellers को प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत आच्छादित किया जानाहै।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जंगल पहाड़ में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को उक्त योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 19/2018– 2323 /राँची, दिनांक 18/07/18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 3058, दिनांक 09.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के उप सचिव।

(103)

श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शशि भूषण सामाड, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले अंतर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र में खराब पड़े 25 के०भी०ए० ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य मेसर्स आई०एल० एण्ड एफ०एस०, को आवंटित है, जिसे जून, 2018 तक पूर्ण करने के लक्ष्य है।		अस्वीकारात्मक। पश्चिम सिंहभूम जिला के अन्तर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र में खराब 10/16 एवं 25 kV के ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत मेसर्स आई०एल० एण्ड एफ०एस० एजेन्सी को आवंटित हुआ है। कार्यादेश के अनुसार मेसर्स आई०एल० एण्ड एफ०एस० को कार्य पूर्ण करने का तय समय सीमा माह मई 2019 है, परन्तु विभाग के द्वारा उपरोक्त कार्य को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कम्पनी की लापरवाही से अब तक चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े 25 के०भी०ए० ट्रांसफर्मरों को नहीं बदला गया है, जिसके कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अंधकार में डूबे है।		अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कार्य हेतु मेसर्स आई०एल० एण्ड एफ०एस० के द्वारा चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर 10/16 एवं 25 kV के खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त समयावधि के भीतर मेसर्स आई०एल० एण्ड एफ०एस० के द्वारा कार्य सम्पादित नहीं करनेवाले दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों पर विधि संगत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		यथा प्रावधान एवं निविदा के शर्त के आलोक में कार्य सम्पादित नहीं करने पर की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1741 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(104)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन पथरिया को रामनगर एवं गुमानी फिडर में प्रत्येक दिन 18–20 घंटा विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु ब्रेकर एवं आवश्यक विद्युत सामग्री के कमी के कारण प्रत्येक दिन मात्र 06–07 घंटा ही विद्युत आपूर्ति हो रही है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत सब-स्टेशन, पथरिया में उपलब्ध पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता कम रहने से क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति में कठिनाई हो रही है तथा कम वोल्टेज रहने के कारण विद्युत आपूर्ति का लाभ भी उपभोक्ताओं को नहीं हो रहा है।		आंशिक स्वीकारात्मक। सब-स्टेशन पथरिया स्थित 05 MVA पावर ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड है। इसे 10 MVA से बदलने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कम वोल्टेज की समस्या पाकुड़ ग्रिड से 33 kV के बजाय 25 kV वोल्टेज प्राप्त होने के कारण हो रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्युत सब-स्टेशन पथरिया के लिए ब्रेकर एवं आवश्यक विद्युत सामग्री के साथ-साथ 10 MVA का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		विद्युत सब-स्टेशन पथरिया में ब्रेकर की आपूर्ति की जा चुकी है। जिसे 15 दिन में लगा दिया जायेगा। 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की माँग की गई है, जिसे 15 सितम्बर 2018 तक बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1739 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

105

श्री साधुचरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला अंतर्गत स्थित चाण्डिल डैम के प्रभावित/विस्थापित समुचित मुआवजा के अभाव में अब भी डुब क्षेत्र में निवास करते हैं जिससे प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में चाण्डिल डैम के प्रभावित/विस्थापितों के समक्ष पानी से डुबने की खतरा बनी रहती है एवं जीवन–यापन में काफी उथल–पुथल मची रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चांडिल जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु अधिग्रहित सभी जमीनों का अर्जन किया जा चुका है। उसके बावजूद डूब क्षेत्र में कुछ विस्थापित रह रहे हैं। बरसात के समय डैम का जलस्तर को नियमित करने के क्रम में डूब क्षेत्र के कुछ गाँव प्रभावित होते हैं।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में चाण्डिल डैम के विस्थापितों/प्रभावितों को एक विशेष पैकेज मुहैया कराकर इन्हें पुर्नवासित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पुनर्वास नीति, 2012 के आलोक में अधिकांश अनुदान का भुगतान कर दिया गया है, शेष बचे अनुदान का भुगतान विभाग द्वारा दिसम्बर 2018 तक करने का लक्ष्य है। जहाँ तक पुनर्वास का सवाल है, 13 विकसित पुनर्वास स्थल में अभी भी भू–खण्ड खाली है किंतु विस्थापितों द्वारा उन्हें आवंटित कराने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–61/2018 – 3069 /राँची, दिनांक 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3050 वि०स० दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(106)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड काठीकुण्ड अंतर्गत ग्राम-शिवतल्ला में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण के कार्य में विद्युत पोल का उपयोग न कर कई जगहों पर विद्युत तार को पेड़ों में बांधकर लटका कर जैसे तैसे विद्युतीकरण कार्य किया गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है तथा जान-माल की भी क्षति हो सकता है।	अस्वीकारात्मक है। इस गाँव के विद्युतीकरण का कार्य लगभग 15 वर्ष पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत् किया गया था। इतने समयान्तराह के कारण कई जगह पोल एवं तार जर्जर हो गए है। संचरण के समुचित रख रखाव का कार्य योजना में है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त शिवतल्ला ग्राम में दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए सही तरह से विद्युतीकरण का कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दुमका जिला प्रखण्ड काठीकुण्ड अंतर्गत ग्राम-शिवतल्ला में विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। उक्त ग्राम में छुटे हुए टोलों की पूर्णतः Saturation mode में विद्युतीकृत करने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् माह दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1754 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(107)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–06 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बुढ़मू प्रखण्ड के अंतर्गत उमेडण्डा स्थित डॉ० राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय परिसर में स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास में सुदूरवर्ती गाँव से आदिवासी एवं गरीब छात्राएँ आकर शिक्षा प्राप्त करती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रावास का विशेष मरम्मति नहीं कराया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है;	वित्तीय वर्ष 2005–06 में 6,13,600.00 रू० की लागत से प्रश्नगत छात्रावास की मरम्मति करायी गयी थी।
4	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रावास का जीर्ण–शीर्ण अवस्था होने के कारण गरीब आदिवासी छात्राओं को छात्रावास में रहकर पठन–पाठन करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का विशेष परिस्थिति में मरम्मति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली, 2018 (विभागीय अधिसूचना संख्या–327, दिनांक–23.01.2018) में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–07/2018–क– 2505 राँची, दिनांक– 17.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3142, दिनांक–11.07.2018 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7.18

(एस० के० लाल)
सरकार के उप सचिव।

(108)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा दिनांक –19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०:– क०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत् श्रमिक महाविद्यालय, डकरा में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की संख्या काफी अधिक है ;	स्वीकारात्मक। यह मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय राँची, चतरा एवं लातेहार जिला के सीमा पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि छात्रावास के अभाव में दूर–दराज से आनेवाले छात्र–छात्राओं को छात्रावास के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। छात्र–छात्राएँ स्थानीय एवं निजी व्यवस्था के तहत अध्ययन कर रहे हैं।
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से पठन–पाठन करने में असुविधा होती है ;	अस्वीकारात्मक। कंडिका–04 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	छात्रावास निर्माण हेतु विभागीय ज्ञापांक– 327, दिनांक– 23.01.2018 द्वारा विभागीय निर्देश निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–15 / वि०स०प्र०–(छा०)–17 / 2018 - 2512 राँची, दिनांक:– 17-7-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –2985, दिनांक:– 07.07.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(एस० के० लाल)
सरकार के उप सचिव।

109

श्रीमती सीमा देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–05 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक–2354, दिनांक–27.07.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि उपायुक्त, राँची की अनुशंसा एवं छात्रहित में विभागीय निर्णय के आलोक में सिल्ली स्थित 100 शैय्या वाले बालक छात्रावास भवन को स्थानीय बाजार दर किराया निर्धारित करते हुए डी०ए०वी० स्कूल के संचालन के निमित्त एक वर्ष से सहमति दी गयी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास को विभागीय ज्ञापांक–786, दिनांक–18.03.2015 इस छात्रावास खाली करने एवं एस०टी० छात्रों को छात्रावास आवंटित करने हेतु संसूचित था, परन्तु छात्रावास सरकार द्वारा अब तक जनजाति छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं अब तक डी०ए०वी० स्कूल का संचालन किया जा रहा है;	विभागीय पत्रांक–120/स०को०, दिनांक–09.06.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची की अनुशंसा एवं छात्रहित में सिल्ली स्थित 100 शैय्या बालक छात्रावास भवन को स्थानीय बाजार दर पर किराया निर्धारित करते हुए डी०ए०वी० स्कूल के संचालन के निमित्त एक वर्ष के लिए डी०ए०वी० प्रबंधन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही उक्त छात्रावास को जनजाति छात्रों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	छात्रावास खाली कराने हेतु विभागीय पत्रांक–2506, दिनांक–17.07.2018 द्वारा उपायुक्त, राँची को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–07/2018–क– 2508 राँची, दिनांक– 17.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3087, दिनांक–10.07.2018 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(एस० के० लाल)
सरकार के उप सचिव।

110

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–01 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के खरसावां प्रखण्ड के बड़ाबाम्बो, बड़ासरगीडीह एवं उधडिया गाँव के सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी लाभुक समिति को निर्धारण राशि हस्तांतरित नहीं किया गया है;	मापी पुस्त के अनुसार संबंधित योजनाओं का भुगतान कर दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित लाभुक समिति को राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–3/कृ0वि0स0(ता0)–18/2018 2091 **कृ0, राँची, दिनांक–** 16-07-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2956 दिनांक–05.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(अंजनी कुमार)

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/कृ0वि0स0(ता0)–18/2018 2091 **कृ0, राँची, दिनांक–** 16-07-18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड–रानेश्वर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और अधिकतम ग्रामीणें के जिविका का मुख्य पेशा खेती एवं मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखंड रानेश्वर के ग्राम–वृन्दावनी / भीटरा के बिच अर्जुन बांध बनाया गया था, जो टुट कर दस वर्ष पूर्व बह गया है ;	बाँध आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अर्जुन बांध टुट कर बह जाने से प्रखंड रानेश्वर के पंचायत–वृन्दावनी सभी गॉव तथा पंचायत बांसकुली के किसान पटवन की सुविधा से वंचित हो गये है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्जुन बांध का निर्माण कराकर पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लघु सिंचाई योजनाओं का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार कार्य हेतु तैयार Profile में योजना का चयन कर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–67 / 2018 3080 / राँची, दिनांक– 12/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3183 दिनांक– 12.07.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/18
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

112

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ0 इरफान अंसारी,, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा, मिहिजाम एवं नारायणपुर प्रखण्ड में तार एवं इन्सुलेटर का ससमय आवश्यक मरम्मती नहीं होने के कारण बिजली उपलब्ध रहने पर भी सही ढ़ंग से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाती है, फलस्वरूप कभी-कभी दो-दो दिन तक ब्लैक आउट की स्थिति बन जाती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। इन जगहों पर 33 के०वी० एवं 11 के०वी० लाईन काफी पुराने होने के कारण भयंकर आंधी पानी में ऐसी स्थिति होती है। तत्पश्चात् उत्पन्न दोष को दूरकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक घर को नियमित बिजली आपूर्ति कराना सरकार का लक्ष्य है।	हाँ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र बिजली के तार एवं उपकरणों का आवश्यक मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	IPDS योजना अन्तर्गत **मिहिजाम शहर** में 18 कि०मी० पुराने 11 kV लाईन को सुदृढ़ीकरण करना, नये 24 अदद् वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना करना 25 अदद् पुराने ट्रांसफार्मर का क्षमता विस्तार एवं 37 कि०मी० एल०टी० लाईन को ए०बी० केबल में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है जिसे दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। जामताड़ा शहर में IPDS योजना अन्तर्गत 39 कि०मी० पुराने 11 kV लाईन का सुदृढ़ीकरण, 21 नये ट्रांसफार्मर की स्थापना, 29 पुराने ट्रांसफार्मर का क्षमता विस्तार एवं 54 कि०मी० पुराने जर्जर एवं एल०टी० तार को एल०टी० केबल में बदलने का कार्य किया जा रहा है जिसे दिसम्बर 2018 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। उक्त सभी कार्य के पूर्ण होने के उपरांत मिहिजाम एवं जामताड़ा शहरी क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति में गुणवतापूर्ण सुधार होगी। जामताड़ा, मिहिजाम के ग्रामीण क्षेत्र एवं नारायणपुर प्रखण्ड में तार एवं इंसुलेटर बदलने का कार्य JSBAY योजना फेज-।। के अन्तर्गत करना है जिसे माह मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1760 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

113

श्रीमती जोबा मांझी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सोनुवा प्रखण्ड में अवस्थित पंसोवा डैम का निर्माण वर्षो पहले तैयार होने के बावजूद स्थानीय कृषकों को उससे सिंचाई का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना के मुख्य नहरो से आंशिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विगत वर्ष 2017–18 में कुल 1000 हे० में सिंचाई सुविधा कृषको को इस योजना से उपलब्ध करायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में उक्त डैम के पानी को चक्रधरपुर सप्लाई करने की याजना है एवं उसकी तैयारी कर ली गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चक्रधरपुर जलापूर्त्ति योजना हेतु 13 MLD (3858 एकड़ फीट प्रतिवर्ष) पेय जलापूर्त्ति के लिये सोनुआ जलाशय के Reservoir से जल निकासी (Water Drawal) की अनुमति जल संसाधन विभाग के पत्रांक–342 दिनांक 22.04.2013 द्वारा दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि पंसोवा डैम के पानी से पूरे सोनुवा इलाका में हरियाली लायी जा सकती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना के पूर्ण होने से 3000 हेक्टेयर में सिंचाई दी जा सकेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त डैम (जलाशय) से सर्वप्रथम कृषकों की पूरी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुख्य नहरो से निःसृत वितरणियों का निर्माण होने के पश्चात् कृषकों को रूपांकित क्षमता के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। जून 2019 में वितरणियों का कार्य पूर्ण कराकर कृषको को योजना की क्षमतानुसार पूरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–63/2018 – 3082 **/राँची, दिनांक** 17/2/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3176 वि०स० दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा प्रदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

114

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत कोनार डैम से नावाडीह प्रखण्ड में नहर बनाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर निर्माण की योजना सरकार के स्तर पर प्रस्ताव लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोनार डैम हजारीबाग जिला में स्थित है एवं इसके दांयी मुख्य नहर से निःसृत गालोबार वितरणी द्वारा नावाडीह प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कोनार डैम से नावाडीह प्रखण्ड में प्रस्तावित नहर निर्माण योजना से गोनियाये, कैजकिरो, नारायणपुर, कोढीमुंगो, पेंक, काच्छो, पोखरिया, पलामू, बेरई के 10 हजार किसान को सिंचाई सुविधा मिलेगी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोनार डैम से निःसृत कोनार दांयी मुख्य नहर का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नावाडीह प्रखण्ड के पेंक पंचायत में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नावाडीह प्रखण्ड में नहर निर्माण से सिंचाई के साथ–साथ पेयजल हेतु भू–गर्भ जलस्तर में भी सुधार होगा ;	स्वीकारात्मक। नावाडीह प्रखण्ड में नहर निर्माण एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के बाद भू–गर्भ जल स्तर में स्वतः सुधार संभावित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कोनार डैम से नावाडीह प्रखण्ड में प्रस्तावित नहर निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोनार डैम के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 19.25 से निःसृत गालोबार वितरणी के निर्माण के उपरान्त इसके द्वारा नवाडीह प्रखण्ड में सिंचाई दी जायेगी। इस वितरणी हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6 / ज०स०वि०–20–तारां०–56 / 2018 – 3065 **/ राँची, दिनांक** 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2991 वि०स० दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

115

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 19.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–13 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि रातू प्रखण्ड के चार पंचायत जैसे कि रातू पूर्वी, रातू पश्चिमी, रातू उत्तरी एवं रातू दक्षिणी में जलमीनार बनाकर जल आपूर्ति करने की योजना वर्ष 2015 से लंबित है। जिस कारण यहाँ की ग्रामीण जनता को पानी की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि रातू प्रखण्ड के चार पंचायत जैसे कि रातू पूर्वी, रातू पश्चिमी, रातू उत्तरी एवं रातू दक्षिणी में जलापूर्ति हेतु योजना तैयार करने के लिए परामर्शी की नियुक्ति की गई थी परन्तु Sustainable Source प्राप्त नहीं होने के कारण गैतलसूद डैम से तैयार की जाने वाली प्रस्तावित Central University, IIT, ITBP, CISF, Smart City से संबंधित जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत रिंग रोड से सटे सभी ग्रामों जैसे – चुटू, मनातु, रातू and enroute 45 villages में भी पाईप लाईन से जलापूर्ति हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। DPR निर्माण के उपरान्त संसाधन की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना निर्माण पर विचार किया जा सकेगा। वर्त्तमान में रातू प्रखण्ड के संबंधित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 22,389 है जिसे 190 अदद् नलकूपों, पूर्व निर्मित रातू ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 02 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है जो विभागीय मानक के अनुसार पर्याप्त है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायतों में जलमीनार बनाकर जल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–104/2018– 2963 राँची, दिनांक :– 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 3184, दिनांक – 12.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–104/2018– 2963 राँची, दिनांक :– 17/7/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
17/07/18

(116)

श्री राज कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–07 का उत्तर

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
(1)	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गावाँ, तिसरी, धनवार अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार में अण्डा वितरण किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
(2)	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड गावाँ तिसरी, धनवार के कई आँगनबाड़ी केन्द्रों में ग्राम–विशनीटीकर, नावाडीह, कामता आदि के केन्द्रों में सप्लायर द्वारा सड़ा अण्डा वितरण किया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है ;	गावाँ, तिसरी एवं धनवार प्रखण्डों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में खराब अण्डों की आपूर्त्ति किये जाने के संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गिरिडीह जिला के बाल विकास परियोजना, सरिया, बेंगाबाद एवं बिरनी के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आपूर्त्तिकर्ता द्वारा खराब अण्डों की आपूर्ति किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।
(3)	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा सप्लायर के खिलाफ सड़ा अण्डा वितरण के खिलाफ कोई जाँच/कार्रवाई अब तक नहीं किया गया है ;	प्राप्त सूचना के आलोक में निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक–1517/स0क0 दिनांक–06.07.2018 के द्वारा आपूर्त्तिकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। गिरिडीह जिला के तिसरी, गावाँ एवं धनवार प्रखण्डों में अण्डों की आपूर्त्ति एवं अण्डों की गुणवत्ता की जांच के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी का त्रिसदस्यीय समिति का गठन उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा किया गया है।
(1)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह जिला के गावाँ, तिसरी, धनवार प्रखण्ड तथा जिले के अन्य प्रखण्डों में जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, गिरिडीह के जाँच प्रतिवेदन एवं आपूर्त्तिकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा आपूर्त्तिकर्ता के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक–03/म० स0/वि0 स0/तारांकित प्रश्न–213/2018– 1975 राँची, दिनांक : 18-07-2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिबालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3171/वि0स0 दिनांक–11.07.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/7/2018.

(लालू कच्छप)
सरकार के उप सचिव

(113)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गोडडा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अंतर्गत झमरिया नदी पर वर्षो पुराने निर्मित चेकडैम काफी दिनों से टुटा हुआ है जिसके कारण ठाकुरगंगटी एवं मेरहमा प्रखण्ड के किसानों का हजारो एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गया है, जिससे किसानों को काफी नकुसान हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के व्यापक हित में गोडडा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अंतर्गत झमरिया नदी पर चेकडैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–59 / 2018 3067 / राँची, दिनांक– 17/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(118)

श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० द्वारा दिनांक –19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०:– क०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में मेसो से संचालित होने वाले 9 पुराने अस्पतालों का संचालन का कार्य अभी भी गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट या निजी अस्पताल के माध्यम से संचालित हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प० सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा और गुमला जिला में पाँच नये मेसो अस्पतालों का संचालन वर्षों से लंबित है ;	इन पांच अस्पतालों के संचालनकर्ता के चयन हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसमें से एक अस्पताल के संचालन हेतु संस्था का चयन किया जा चुका है। शेष चार अस्पतालों के संचालन के लिए संस्था के चयन हेतु पुनः निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। योग्य संस्था के चयनोपरान्त अस्पताल का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाँच नये अस्पतालों एवं 09 पुराने अस्पतालों को किसी सरकारी संस्था से संचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–04 / वि०स०(तारांकित) –22 / 2018 2510 रॉची, दिनांक:– 17-7-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप संख्या –3172, दिनांक:– 11.07.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0-11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री पौलुस सुरीन, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी एवं सिमडेगा जिला अन्तर्गत तोरपा, रनिया, कर्रा एवं बानो प्रखण्ड में माँग के अनुरूप ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रखण्ड के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है।	खूँटी जिला से संबंधितः- स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला से संबंधितः- आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मैंने कई बार विभाग को पत्राचार किया हूँ परन्तु उक्त प्रखण्डों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	खूँटी जिला से संबंधितः- स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला से संबंधितः- माननीय विधायक के विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बदले गये ट्रांसफार्मर की सूची निम्नवत् है :- 1. सोय, तिनसोगडा - 25 के0भी0ए0 2. सोय, सुतरौली महाबुआंग - 25 के0भी0ए0 3. कनसोदे, महतो टोली - 25 के0भी0ए0 4. राईकेरा, टेम्बरो- 25 के0भी0ए0 5. बांकी, कनारवां - 25 के0भी0ए0 6. कनारोंआं, चोरबंदु - 25 के0भी0ए0
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में माँग के अनुरूप ट्रांसफार्मर मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खूँटी जिला से संबंधितः- तोरपा, रनिया एवं कर्रा अन्तर्गत DDUGJY एवं 12वीं योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है तथा माह अक्टूबर 2018 तक तीनों प्रखण्डों को पूर्ण विद्युतीकरण करने का योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत 10, 16 एवं 25 KVA ट्रांसफार्मर के स्थान पर भार के अनुरूप अतिरिक्त 25 KVA का ट्रांसफार्मर देने की योजना है। इसी क्रम में 63/100/200 KVA ट्रांसफार्मर जो खराब होते है उन्हें TRW राँची में मरम्मत करवाकर बदल दिये जाता है। सिमडेगा जिला से संबंधितः- बानो प्रखण्ड अन्तर्गत DDUGJY के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। माह दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने की योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत 10, 16 एवं 25 KVA ट्रांसफार्मर के स्थान पर भार के अनुरूप अतिरिक्त 25 KVA का ट्रांसफार्मर देने की योजना है। इसी क्रम में 63/100/200 KVA ट्रांसफार्मर जो खराब होते है उसे TRW गुमला से मरम्मत करवाकर बदल दिये जाते है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1757 /   दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

120

श्री साधुचरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जन नीति के तहत् डैम में संग्रहित जल से पहले डैम क्षेत्र के चारों दिशाओं में, पीने की व्यवस्था करना तथा खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हुए शेष जल को ही बेचने का प्रावधान उपबंधित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नीति के अनुरूप सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत चांडित डैम के चारों ओर न ही पीने के लिए पानी तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है, जो जल नीति के उल्लंघन का एक गंभीर विषय है ;	अस्वीकारात्मक। चांडिल जलाशय में Live Storage 1611 MCM में से सिंचाई के लिए 654 MCM, Municipal एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 463 MCM तथा शेष 463 MCM Flood Cushion के रूप में प्रावधानित है। चांडिल जलाशय में उपलब्ध जल से मुख्य नहर तथा वितरणियों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे सरायकेला–खरसावाँ जिला को भी लाभ मिल रहा है। डैम के स्पीलवे से नदी में नियमित रूप से समुचित मात्रा में पानी छोड़ी जानी है, जिससे सुवर्णरेखा नदी पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर बनाये गये Intake Well से पेय आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इससे सरायकेला जिला भी लाभान्वित हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में चाण्डिल डैम के चारो ओर पीने का पानी एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–64/2018 – 3063 /राँची, दिनांक 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3177 वि०स० दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

121

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ प्रखण्ड के गणेशपुर में सीती बांध से नहर का निर्माण लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 में कराया गया था ;	प्रश्नगत योजना लघु सिंचाई प्रक्षेत्र से संबंधित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बांध एवं नहर से स्थानीय कृषकों को हजारों एकड़ भूमि का पटवन सुनिश्चित होता था ;	
3	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में उक्त बांध एवं कैनाल की स्थिति जर्जर है ;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त बांध एवं कैनाल की मरम्मति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–58 / 2018 3081 **/ राँची, दिनांक–** 17/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2992 दिनांक–07.07.18 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(122)

श्री कुणाल षड़ंगी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक- 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न

सं०-म०स-01 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा एवं चाकुलिया प्रखण्ड में सी०डी०पी०ओ० भवन काफी जर्जर हालत में है;	स्वीकारात्मक ।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्डों में नया सी०डी०पी०ओ० भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक । उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को वर्णित भवनों की मरम्मति/ जीर्णोद्धार हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक- 03/म०स०/वि०स०/ तारांकित प्रश्न- 206/2018-1974 रांची,दिनांक- 18-07-18

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2986/वि०स०, दिनांक- 07.07.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/7/2018.

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

प्रो० जयप्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता प्रो० जयप्रकाश वर्मा, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के कान्डी प्रखण्ड के बलियारी पंचायत के बलियारी गाँव के बरवाडीह, ढेलकाडी बुनियाद विधा और सोनपूरा टोलों में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना से सन् 2007 में बिजली के तार, पोल एवं 10 KVA के ट्रांसफरमर लगाये गये थे।		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी खण्ड–1 में उल्लेखित टोलों में बिजली आपूर्ति नहीं की गई है और इन टोलों में रहने वाले लगभग 250 लोगों को आज भी ढिबरी युग में जीवन जीना पड़ रहा है।		आंशिक स्वीकारात्मक। खण्ड–1 में उल्लेखित टोलों में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से विद्युत की आपूर्ति की गई थी परन्तु 10 KVA ट्रांसफार्मर तथा तार एवं पोल के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्त्तमान में इन टोलों में विद्युत आपूर्ति बाधित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये प्रावधानों के अुनसार तीन फेज लाइन एवं 25 KVA या उससे बड़े ट्रांसफरमर लगा कर उपरोक्त उल्लेखित टोलों में बिजली की आपूर्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		खण्ड–1 में वर्णित ग्राम बलियारी एवं उनके टोलों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु विद्युतीकरण कार्य DDUGJY योजना में चल रहा है। वर्णित ग्रामों में विद्युतीकरण करने हेतु पोल गाड़ने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इसे 15 अगस्त 2018 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1736 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(124)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। शहरी क्षेत्र को 08 से 10 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र को 04 से 05 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात भी सही है कि गढ़वा जिला में 80 मेगावाट बिजली की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 10 से 15 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा जिला को बिजली की आपूर्ति 132/33 के०वी० रेहला ग्रिड से प्राप्त बिजली के अनुसार की जाती है। 132/33 के०वी० रेहला ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति रिहंद (UP) एवं सोननगर (Bihar) से होती है। रिहन्द से जो बिजली रेहला ग्रिड को दी जाती है, उसी बिजली का 10–15 मेगावाट बिजली गढ़वा जिले को आपूर्ति की जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में ट्रांसमिशन लाईन की भी स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण आये दिन पोल-तार गिरने से जान-माल की हानि की सूचना मिलती है।	अस्वीकारात्मक। ट्रांसमिशन लाईन की स्थिति दुरूस्त है तथा इसके गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। JSBAY, DDUGJY एवं ADP योजना के तहत गढ़वा जिले के अधिकांश जर्जर तार एवं पोल बदल दिए गए है एवं शेष को दिसम्बर 2018 तक दुरूस्त किए जाने का लक्ष्य है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिला के ट्रांसमिशन लाईन को दुरूस्त करके गढ़वा जिला में नियमित विद्युत आपूर्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गढ़वा जिले में संचरण व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु गढ़वा (भागोडीह) में 220/132 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 220 के०वी० डबल सर्किट गढ़वा-डाल्टेनगंज संचरण लाईन के द्वारा डाल्टेनगंज ग्रिड (PGCIL) से जोड़ा जाना है जिसके पूर्ण होने का लक्ष्य क्रमशः अगस्त 2018 एवं नवम्बर 2018 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त गढ़वा जिला के भागोडीह तथा रामकन्डा में 132/33 के०वी० ग्रिड-सब-स्टेशन का निर्माण विश्व बैंक सम्पोषित संचरण परियोजना के तहत कियां जाना प्रस्तावित है, जिसका कार्यादेश क्रमशः अगस्त 2018 एवं अक्टूबर 2018 तक निर्गत कर दिया जायेगा तथा पूर्ण होने का लक्ष्य 18 माह निर्धारित है। गढ़वा जिले को नियमित विद्युत की आपूर्ति करने हेतु गढ़वा जिले के भागोडीह क्षेत्र में 220/132/33 के०वी० ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। जिसे नवम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। जिसके उपरांत गढ़वा जिले में नियमित विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1234 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(125)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड स्थित ओरमांझी तालाब का जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 तैयार होने के बावजूद अबतक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है ;	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दे दी गई एंव निविदा निस्तारित हो गई है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब का जीर्णोद्धार के अभाव में तालाब का अतिक्रमण कर कूड़ा डालकर समतलीकरण किया जा रहा है ;	
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तालाब का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–55/2018 3076 / राँची, दिनांक–17/7/18

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत पिंडराजोरा, ब्राहमणद्वारिका, मानगो एवं भतुआ में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था काफी चरमराई हुई है, जिसे सुधारने हेतु पॉवर सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ बसे हजारों लोग लाभान्वित होंगे।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु पॉवर सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में निर्माणाधीन विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, फुदनीडिह को सितम्बर 2018 तक ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है, जिससे पिण्ड्राजोड़ा, ब्रह्मणद्वारिका, मानगो एवं भतुआ के साथ सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार की संभावना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1745 /

दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

127

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री फूलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत महुबनी 1, ग्राम-डुमरियाटांड, लेदोडीह एवं घोवाटांड़ जैसे ग्रामीण बहुल इलाके से विद्युत विभाग द्वारा हाई टेंशन तार लगाने का काम प्रगति पर है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित ग्रामों के ग्रामीण हाई टेंशन तार के गाँव से होकर गुजरने से भयभीत तथा भविष्य में अनहोनी घटना घटने को लेकर काफी आशंकित है।		वर्णित सभी गाँव पूर्व से आंशिक रूप से विद्युतीकृत है शेष अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुँचाने हेतु पूर्व से खींचे गए लाईन से टेपिंग किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित ग्रामों से हाई टेंशन तार को प्रवेश न कराते हुए टीटीचापुड़ी बड़ा तालाब के बगल से होते हुए गोलपहाड़ी के तरफ से हाई टेंशन तार को पार करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		पूर्व के लाईन में लगे जर्जर तार पोल इत्यादि बदलने का कार्य JSBAY योजना के तहत् प्रस्तावित है। उक्त कार्य को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1737 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

128

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०झा०वि०स० द्वारा दिनांक–19.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–02 का उत्तर।

क० सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र में पशुपालकों की संख्या अधिक है और उन्हें दूध बेचने जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हरिहरगंज, मोहम्मदगंज एवं पिपरा प्रखण्ड में डाटा प्रोसेसर एवं मिल्क कलेक्सन युनिट (DPMCU) तथा बल्क मिल्क कुलर (BMC) कहीं नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मोहम्मदगंज प्रखण्ड के सोनबरसा एवं पनसा ग्रामों में Milk Pooling Points (MPPs) है जहाँ डाटा प्रोसेसर एवं मिल्क कलेक्शन यूनिट (DPMCU) स्थापित एवं क्रियाशील है। इन केन्द्रों में संग्रहित दूध हैदरनगर प्रखण्ड के विलासपुर में स्थापित बल्क मिल्क कूलर (BMC) में भेजा जाता है। वर्तमान में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (JMF) के द्वारा पलामू जिला में निम्नलिखित 05 बल्क मिल्क कूलर स्थापित है :– स्थल – प्रखण्ड 1. कधवन – विश्रामपुर 2. विलासपुर – हैदरनगर 3. गहरपथरा – पाटन 4. पाटन – पाटन 5. सिलदाग – छतरपुर
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्जित प्रखण्डों में DPMCU तथा BMC युनिट अविलम्ब स्थापित करने का विचार रखती है, जिससे पशुपालकों को दुध संग्रह करने तथा बेचने में सुविधा होगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उल्लेखनीय है कि पलामू जिला मुख्यालय में 50 हजार लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट की स्थापना प्रक्रियागत है। उक्त डेयरी प्लांट की स्थापना के उपरांत जिला में पर्याप्त दूध की उपलब्धता के आधार पर अन्य उपयुक्त स्थलों पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाना है।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या– 6 वि/वि०स0 (तारांकित)–114/2018 प०पा०/848/ राँची, दिनांक.....17.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–प्र० 2993/वि०स० दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

129

श्री नवीन जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज 14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग में शोध पदाधिकारी के 12 (बारह) एवं उप निदेशक (वैज्ञानिक) के 04 (चार) पद सृजित है एवं वर्त्तमान में सिर्फ 03 (तीन) शोध सहायक ही कार्यरत है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में मंत्रिमंडल सचिवालय, झारखण्ड सरकार की नियमावली पास होने के उपरान्त एवं 30 वर्षो तक शोध सहायक के पद पर कार्य करने के उपरान्त अभी तक शोध सहायकों की प्रोन्नति सृजित पद पर नहीं की गई है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शोध सहायकों को प्रोन्नति देने एवं सृजित पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शोध सहायकों के सेवा सम्वर्ग नियमावली के गठन के पश्चात् शोध सहायकों की प्रोन्नति विभाग अन्तर्गत विचाराधीन है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं० 743 दिनांक 25.01.2018 द्वारा सभी प्रकार की प्रोन्नतियाँ बाधित थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4990 दिनांक 05.07.2018 द्वारा परिपत्र संख्या 743 दिनांक 25.01.2018 को निरस्त किया गया है एवं प्रोन्नति दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 2985 दिनांक 13.07.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य अभियंता, राँची से उनके परिक्षेत्राधीन कार्यरत शोध सहायकों को देय प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव मूल सेवापुस्त एवं आवश्यक अभिलेखों की मांग की गई है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–66/2018 – 3062 /राँची, दिनांक 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– ..... वि०स० दिनांक ..... के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/...../प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

130

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक –19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०:– क०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017–18 में झारखण्ड राज्य के पलामू जिले में छात्र–छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु 3000 रूपये प्रति छात्र की दर से मार्च, 2018 तक 2,66,247 छात्र–छात्राओं को D.B.T के माध्यम से उनके खाते में राशि जमा की गयी ;	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक–725, दिनांक– 13.07.18 द्वारा प्रतिवेदित है कि वर्ष 2017–18 में साईकिल योजनान्तर्गत पलामू जिले में छात्र/छात्राओं से प्री रिसिप्ट भाउचर प्राप्त कर कुल 9762 छात्र/छात्राओं को साईकिल क्रय करने के लिए 3000/– रू० की दर से D.B.T के माध्यम से खाते में राशि हस्तांतरित की गयी तथा 6712 छात्र/छात्राओं का प्री रिसिप्ट भाउचर प्राप्त की जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड–1 में वर्णित 266247 छात्र–छात्राओं ने साईकिल क्रय कर लिया गया है, इसकी सम्पुष्टि की क्या प्रणाली है ?	विभागीय संकल्प सं०– 969, दिनांक– 08.04.2015 की कंडिका 04 की उपकंडिका (iii से X) के प्रावधनों के तहत छात्र/छात्राओं से प्री रिसिप्ट प्राप्त करने के बाद ही बैंक खाते में D.B.T के माध्यम से साईकिल क्रय करने हेतु राशि हस्तांतरित करने एवं साईकिल क्रय होने का सत्यापन किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत ही कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–04/वि०स०(तारांकित) –23/2018 2509 राँची, दिनांक:– 17-7-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –3209, दिनांक:– 12.07.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

131

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखदेव भगत, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 20 जिलों में दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् 16,454 टोलों में विद्युतीकरण करना है;		स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत आंशिक अविद्युतीकृत 17264 ग्रामों (PE Village) के छुटे हुए सभी टोलों को Saturation mode में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिसम्बर 2018 निर्धारित है।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक इन जिलों में 30 प्रतिशत तक भी कार्य नहीं हुआ है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र कार्य पूरा करने हेतु कार्यो में तेजी लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2018 तक सभी जिलों के आंशिक अविद्युतीकृत ग्रामों (PE Village) के टोलों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। कार्य में तेजी लाने हेतु वरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह Action Plan के अुनसार प्रगति की समीक्षा की जाती है एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1753 / दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

132

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री हरिकृष्ण सिंह, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के बरवाडीह में 33 हजार वोल्ट बिजली तार चालीस साल पुराना है। बरवाडीह बाजार, गढ़वाटांड, चमरडीहा, बभनडीह, चपरी, छिपादोहर, बेतला, मंगरा गाँव का भी बिजली तार काफी जर्जर एवं पुराना है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली तार पुराना होने के चलते हल्की बारिश या हवा का झोंका से टूटकर गिरते रहता है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाता है एवं जान-माल का बड़ा हादसा हो सकता है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि बरवाडीह विद्युत सब-स्टेशन में पाँच फीडर है। जिसमें चार फीडर में ब्रेकर नहीं है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि बरवाडीह विद्युत विभाग के पास बिजली मिस्त्रियाँ का घोर अभाव है, उनके पास मात्र दो सरकारी मिस्त्री है और प्राईवेट अकुशल मिस्त्रियाँ पर आश्रित है।		अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में बरवाडीह प्रशाखा में कुल 09 कर्मी कार्यरत् है जिसमें सरकारी मिस्त्री एवं वाहयस्त्रोय कम्पनी से रखा गया है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह के 33 हजार वोल्ट का एवं उपर वर्णित खण्ड-। में गाँवों का तार बदलने तथा फीडर में ब्रेकर लगाने एवं बिजली मिस्त्रियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		आंशिक स्वीकारात्मक। 33 हजार वोल्ट एवं 11 हजार वोल्ट का तार बदलने हेतु JSBAY योजना के तहत् स्वीकृत है जिसे पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर 2019 है। विद्युत शक्ति उपकेन्द्र बरवाडीह में ब्रेकर लगाने हेतु DDUGJY योजना के तहत् स्वीकृत है जिसका लक्ष्य दिसम्बर 2018 है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बरवाडीह में आवश्यकतानुसार वाहयस्त्रोत कम्पनी से बिजली मिस्त्री को रखा गया है एवं उसे कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक....1758................/ दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Vihan Sabha (Question & Answer)\2018\MONSOON SESSION 2018\Monsoon Question.Docx 13

(133)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा0–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राम कुमार पाहन, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खिजरी विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड के लाली पंचायत स्थित टुँगरी टोली, राढुजारा, करमाडीपा (उलातू) एवं अनगड़ा प्रखण्ड स्थित गोबर बेड़ा, गोड़ांग (महतोटोली) तथा अन्य कई टोलो में अबतक विद्युतीकरण नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को पठन पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।		स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के गाँवों (टोलों) में विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		नामकुम प्रखण्ड स्थित लाली पंचायत के टोलों, टुगरी टोली, राढुजारा, करमाडीपा (उलातु) एवं अनगड़ा प्रखण्ड स्थित गोबर बेड़ा गोडांग (महतोटोली) तथा अन्य कई टोलों में विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की 12वीं योजना के तहत् प्रयोजित है एवं कार्य चल रहा है। नामकुम प्रखण्ड के ग्राम करमाडीपा (उलातु) में 71 पोल गाड़ दिया गया है। अनगड़ा प्रखण्ड स्थित गोबर बेड़ा गोडांग में 11 के०भी० लाईन खीचनें हेतु स्थल पर 87 पोल पहुँचा दिया गया है। उपरोक्त वर्णित गाँवों के टोलों में विद्युतीकरण का कार्य माह अक्टुबर 2018 तक 12वीं DDUGJY योजना के तहत पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1742 / दिनांक 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

134

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड अंतर्गत केहुनिया नाला सिंचाई योजना का कार्य बंद है ;	गैर मजरूआ मालिक भूमि के भुगतान हेतु ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। ग्रामीणों को भू–अर्जन के नियमों से अवगत कराते हुए समझा–बुझाकर कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु विभागीय पदाधिकारी सतत् प्रयत्नशील है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना पूर्ण नहीं होने से डंडई प्रखंड में धान की रोपाई नहीं के बराबर हो रही है तथा किसान भुखमरी के कगार पर है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। केहुनिया नाला सिंचाई योजना दानरो बांयी मुख्य नहर के संवर्धन की योजना है, जिससे दानरों बांयी मुख्य नहर के चेन सं०–200 (6 कि०मी०) के डाउन स्ट्रीम में जल सम्बर्द्धन होना है। विषयांकित क्षेत्र में मुख्यतः दानरो बांयी मुख्य नहर से पटवन होती है। वर्षा की कमी एवं दानरो जलाशय में पानी की कमी के कारण अभी इससे पटवन नहीं हो पा रहा है। वर्षा होने के उपरान्त इससे पटवन हो सकेगा। केहुनिया नाला संवर्धन योजना एक diversion योजना है और यह बरसाती नाले पर निर्मित है। इसमें सालो भर जल उपलब्ध नहीं रहता है। अतः इस योजना के पूर्ण होने पर भी अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में समुचित पटवन नहीं हो सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना को वर्त्तमान वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	गैर मजरूआ मालिक भूमि के भुगतान नहीं होने के कारण ग्रामीणों के जनावरोध दूर कर आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सरकार योजना को पूरा कराने का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–54/2018 – 3064 **/राँची, दिनांक** 17/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2954 वि०स० दिनांक 05.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(श्रीनिवास प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।